



THE
JHARKHAND GAZETTE
EXTRAORDINARY
PUBLISHED BY AUTHORITY

No. 55

4 Poush, 1940(S)

Ranchi, Thursday, 24th January, 2019

COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

Notification

24th January, 2019

Notification No. -28/2018 – State Tax(Rate)

S.O. No. 6 Dated- 24th January, 2019-- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Government of Jharkhand, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of Jharkhand, in the Commercial Taxes Department, No.12/2017- State Tax (Rate), dated the 29th June, 2017, published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, *vide* S.O. No. 42, dated the 29th June, 2017, namely:-

In the said notification, -

(i) in the Table, -

(a) after serial number 21A and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|------|------------------------------|---|-----|-------|
| “21B | Heading 9965 or Heading 9967 | Services provided by a goods transport agency, by way of transport of goods in a goods carriage, to, - (a) a Department or Establishment of the Central Government or State Government or Union territory; or (b) local authority; or (c) Governmental agencies, which has taken registration under the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) only for the purpose of deducting tax under Section 51 and not for making a taxable supply of goods or services. | Nil | Nil”; |

(b) after serial number 27 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|------|--------------|--|-----|-------|
| “27A | Heading 9971 | Services provided by a banking company to Basic Saving Bank Deposit (BSBD) account holders under Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY). | Nil | Nil”; |

(c) against serial number 34A, in the entry in column (3), after the letters and words “PSUs from the”, the words “banking companies and” shall be inserted;

(d) against serial number 66, for the entry in column (2), the following entry shall be substituted namely: -

“Heading 9992 or Heading 9963”;

(e) serial number 67 and the entries relating thereto, shall be omitted;

(f) after serial number 74 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|------|--------------|---|-----|-------|
| “74A | Heading 9993 | Services provided by rehabilitation professionals recognised under the Rehabilitation Council of India Act, 1992 (34 of 1992) by way of rehabilitation, therapy or counselling and such other activity as covered by the said Act at medical establishments, educational institutions, rehabilitation centers established by Central Government, State Government or Union territory or an entity registered under section 12AA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961). | Nil | Nil”; |

- (ii) in paragraph 2, after clause (za), the following clause shall be inserted, namely: -
“(zaa) “financial institution” has the same meaning as assigned to it in clause (c) of section 45-I of the Reserve Bank of India Act, 1934(2 of 1934).”;
2. This notification shall be deemed to be effective from 01st January, 2019.

[File. No Va Kar / GST / 05/ 2018]
By the order of the Governor of Jharkhand

Prashant Kumar,
Secretary-cum-Commissioner

Note: -The principal notification No. 12/2017 - State Tax (Rate), dated the 29th June, 2017 was published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, *vide* S.O. No. 42, dated the 29th June, 2017 and was last amended by notification No. 23/2018 - State Tax (Rate), dated the 04th October, 2018 *vide* S.O. No. 69, dated the 04th October, 2018.

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

24 जनवरी, 2019

अधिसूचना सं०. 28/2018- राज्य कर (दर)

एस. ओ. सं. 6 दिनांक 24 जनवरी, 2019-- झारखण्ड माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 11 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, झारखण्ड सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, झारखण्ड सरकार, के वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना संख्या 12/2017- राज्य कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017 जिसे एस. ओ. सं. 42, दिनांक 29 जून, 2017 के तहत झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, -

(i) सारणी में, -

(क)क्रम संख्या 21क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|------|-------------------------------------|--|----------|------------|
| "21ख | शीर्षक 9965 या शीर्षक 9967 | किसी ऐसे माल परिवहन एजेंसी द्वारा गुड्स कैरिज में माल के परिवहन के रूप में, निम्नलिखित को, प्रदान की जाने वाली सेवाएं,- (क) केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के विभाग या संस्थापना; या (ख) स्थानीय प्राधिकरण; या (ग) सरकारी एजेंसियों, जिन्होंने धारा 51 के अंतर्गत कर में कटौती किए जाने के उद्देश्य से झारखण्ड माल और सेवाकर अधिनियम 2017 (2017 का 12) के अंतर्गत अपना पंजीकरण कराया है न कि माल या सेवाओं की कर वाली आपूर्ति करने के लिए । | कुछ नहीं | कुछ नहीं"; |

(ख) क्रम संख्या 27 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|----------|----------------|---|----------|------------|
| “27 क | शीर्षक 9971 | किसी बैंकिंग कंपनी के द्वारा प्रधान मंत्री जन धन योजना (PMJDY) के अंतर्गत बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट (BSBD) खाताधारकों को प्रदान की जाने वाली सेवाएं । | कुछ नहीं | कुछ नहीं”; |

(ग) क्रम संख्या 34क के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि में, “पीएसयू द्वारा” शब्दों के पश्चात “बैंकिंग कंपनियां एवं” शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा,

(घ) क्रम संख्या 66 के समक्ष, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“शीर्षक 9992 या शीर्षक 9963”;

(ङ) क्रम संख्या 67 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को विलोपित कर दिया जाएगा;

(च) क्रम संख्या 74 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|------|----------------|---|----------|------------|
| “74क | शीर्षक 9993 | भारतीय पुर्नवास परिषद अधिनियम, 1992 (1992 का 34) के अंतर्गत मान्यता प्राप्त व्यावसायिकों के द्वारा चिकित्सा संस्थानों, शैक्षणिक संस्थानों, केन्द्र सरकार, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या अन्य निकायों, जो कि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 12कक के अंतर्गत पंजीकृत हों, द्वारा स्थापित पुर्नवास केन्द्रों में पुर्नवास, थैरेपी या काउंसलिंग और ऐसी ही अन्य क्रियाओं, जो कि आरसीआई एक्ट, 1992 के अंतर्गत आती हैं, के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाएं । | कुछ नहीं | कुछ नहीं”; |

(ii) पैराग्राफ 2 में उपवाक्य (यक), के पश्चात निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा: -

“(यकक) “वित्तीय संस्थान” का वही अभिप्राय होगा जो कि इसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45झ की उपवाक्य (ग) में दिया गया हो”;

2. यह अधिसूचना 01 जनवरी, 2019 से लागू मानी जाएगी।

[सं.सं .वा०कर/जी०एस०टी०/05/2018]

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

प्रशांत कुमार,
सचिव-सह-आयुक्त

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 12/2017- राज्य कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017 को एस. ओ. सं. 42, दिनांक 29 जून, 2017 के तहत झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 23/2018- राज्य कर (दर), दिनांक 04 अक्टूबर, 2018 जिसे एस. ओ. सं. 69, दिनांक 04 अक्टूबर, 2018 के तहत प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है ।
